

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या 03 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मधेपुरा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री सत्येन्द्र सिंह - अध्यक्ष
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती अरुणा कुमारी - सदस्य
अधिवक्ता
3. श्री कंचन कुमारी - सदस्य
अधिवक्ता

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मधेपुरा जिला तक सीमित रहेगा ।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 755-----/

पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधेपुरा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या-04/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), किशनगंज के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री निखिलेश कुमार त्रिपाठी - अध्यक्ष
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्री अनिल कुमार सिंह - सदस्य
अधिवक्ता
3. श्रीमती अमृता आनन्द - सदस्य
अधिवक्ता

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार किशनगंज जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-756/

पटना, दिनांक 02/04/26/

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, किशनगंज/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, किशनगंज/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/2020

संख्या 05/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), जमुई के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री राज कुमार - अध्यक्ष
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. श्रीमती नीतु कुमारी - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता
3. श्री ऋतेश चन्द्र - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार जमुई जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष एवं सदस्यगण अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 757/-----/

पटना, दिनांक 02/04/2020

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जमुई/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, जमुई/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/20

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना
॥

पटना, दिनांक 02/04/26.

संख्या 06. /विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सुपौल के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री संजय कुमार झा - अध्यक्ष
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सुपौल जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 758 /

पटना, दिनांक 02/04/26.

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सुपौल/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सुपौल/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26;

संख्या-07-----/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), बेगूसराय के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री हमेन्त कुमार त्रिपाठी - अध्यक्ष
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार बेगूसराय जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।


ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-757-----/

पटना, दिनांक 02/04/26;

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, बेगूसराय/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, बेगूसराय/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या 08/ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सहरसा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री महेश प्रसाद सिंह - अध्यक्ष
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सहरसा जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 760-----/

पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सहरसा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या 09 विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), जहानाबाद के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री प्रभात त्रिवेदी - अध्यक्ष
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, सेवा निवृत्त

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार जहानाबाद जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक-----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 761-----/

पटना, दिनांक 02/04/26/

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, जहानाबाद/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, जहानाबाद/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों/महालेखाकार, वीरचन्द्र पटेल मार्ग, पटना एवं वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26.

संख्या 10/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मुजफ्फरपुर के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री संजीव कुमार सिंह - सदस्य
अधिवक्ता

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मुजफ्फरपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 762/-----/

पटना, दिनांक 02/04/26/.

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मुजफ्फरपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या 11/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), समस्तीपुर के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती रवेता कुमारी पोद्दार - सदस्य
अधिवक्ता

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार समस्तीपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 783-----/

पटना, दिनांक 02/04/26/

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, समस्तीपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, समस्तीपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या-12/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), सारण, छपरा के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री राहुल कुमार - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार सारण, छपरा जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-784-----/

पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सारण, छपरा/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26,

संख्या 13 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनेपयोगी सेवा), पूर्णियाँ के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-


1. श्री राजेश कुमार सिंह - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार पूर्णियाँ जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह०/-
(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/ पटना, दिनांक -----/
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह०/-
(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

ज्ञाप संख्या 785 / पटना, दिनांक 02/04/26,
प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पूर्णियाँ/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, पूर्णियाँ/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26.

संख्या-14/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), खगड़िया के लिए निर्मांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री निरंजन कुमार - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार खगड़िया जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-
(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या- / पटना, दिनांक /
प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-766/ पटना, दिनांक 02/04/26/
प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, खगड़िया/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, खगड़िया/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव
02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या 15 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), मधुबनी के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री हेमन्त कुमार सिंह - सदस्य
अधिवक्ता
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार मधुबनी जिला तक सीमित रहेगा ।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

ह०/-


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 787-----/

पटना, दिनांक 02/04/26,

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मधुबनी/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, मधुबनी/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26

संख्या 16 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), कटिहार के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्री तारकेश्वर सिंह - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार कटिहार जिला तक सीमित रहेगा।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 768 -----/

पटना, दिनांक 02/04/26

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कटिहार/ प्रमडतीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, कटिहार/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, विहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/26,

संख्या 14 / विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं०-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), कैमूर, भभुआ के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. डा० पंकज कुमार पाण्डेय - सदस्य
अधिवक्ता
2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा ।
3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार कैमूर, भभुआ जिला तक सीमित रहेगा ।
4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे ।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह०/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय ।

ह०/-


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव
02/04/26

ज्ञाप संख्या 789 -----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, कैमूर, भभुआ/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, कैमूर, भभुआ/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।


(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव 02/04/26

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार
बुद्ध मार्ग, पटना संग्रहालय के सामने,
पटना-800001

अधिसूचना

पटना, दिनांक 02/04/2018

संख्या 18/विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं0-39) की धारा-22बी, विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधित) अधिनियम, 2002 के अन्तर्गत स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवा), भागलपुर के लिए निम्नांकित रूप से गठन किया जाता है:-

1. श्रीमती पूनम कुमारी मंडल - सदस्य
सामाजिक कार्यकर्ता

2. उपरोक्त अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल-5 वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र जो पहले हो, के लिए होगा।

3. उक्त स्थायी लोक अदालत का क्षेत्राधिकार भागलपुर जिला तक सीमित रहेगा।

4. अध्यक्ष, अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से 21 दिनों के अन्दर योगदान देंगे।

बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के आदेश से
ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या-----/

पटना, दिनांक -----/

प्रतिलिपि- अधीक्षक, सचिवालय प्रेस गुलजारबाग, पटना-7 को सूचनार्थ एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 100 प्रतियाँ बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को भेजी जाय।

ह0/-

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)

सदस्य सचिव

ज्ञाप संख्या 270-----/

पटना, दिनांक 02/04/2018

प्रतिलिपि- महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/ सचिव, विधि विभाग, बिहार, पटना/ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, भागलपुर/ प्रमडलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी, भागलपुर/सभी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिहार/राज्यपाल के सचिव, बिहार, पटना/ सभी संबंधित अध्यक्ष एवं सदस्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(धर्मेन्द्र कुमार सिंह)
सदस्य सचिव